

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo/Bgr

Dated- 29/06/2020

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.763 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Syali to Ediya-Manakhet of M/road.**

in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Manakhet** village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.763 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 29/06/2020

Signature

(Ranjana Rajguru)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-स्याली
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है० आरक्षित वन भूमि, 0.715 है० सिविल सोयम भूमि, 0.576 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.763 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्याली द्वारा दिनांक 22.1.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रयोक्ता/अधिकार अधिकारी
ग्राम स्याली
वि० ए० - गरुड़ (बागेश्वर)

कि-लामिह
प्रधान
ग्राम पंचायत, स्यालीस्टेट
वि० ए० गरुड़ (बागेश्वर)

12/01/2020
ग्राम पंचायत
मनाखेत
वि० ए० गरुड़ (बागेश्वर)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 22.1.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-स्याली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	डि-जोसिह	डि-जोसिह
(2)	शैलधर च-५	शैलधर चन्द
(3)	पुरन सिंह	पुरन सिंह
(4)	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
(5)	मदन सिंह	मदन सिंह
(6)	नरोत्तम जोशी	रघुवर सिंह
(7)	रघुवर सिंह	रघुवर सिंह
(8)	जशोद सिंह	जशोद सिंह
(9)	विजय सिंह	विजय सिंह
(10)	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
(11)	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
(12)	श्रीमती माया देवी	श्रीमती माया देवी
(13)	" रवीमा देवी	श्रीमती माया देवी
(14)	" नन्दी देवी	श्रीमती माया देवी
(15)	श्री कवि कलश	श्रीमती माया देवी
(16)	श्रीमती कमला देवी	श्रीमती माया देवी
(17)	" विमला देवी	श्रीमती माया देवी
(18)	" देवकी देवी	श्रीमती माया देवी
(19)	" बबिता देवी	श्रीमती माया देवी
(20)	श्री शंकर राम	शंकर राम
(21)	" विशान राम	विशान राम

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-लद्यूड़ा
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है० आरक्षित वन भूमि, 0.715 है० सिविल सोयम भूमि, 0.576 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.763 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लद्यूड़ा द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत लद्यूड़ा
ग्राम पंचायत (प्रा.स.स.स.)
ग्राम सचिव (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत, स्यालीस्टेड
वि०खण्ड (बागेश्वर)
ग्राम प्रमुख/परामर्श
वि०खण्ड-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

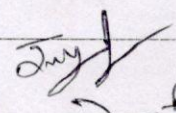
1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत
स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 22.1.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- लदयूडा

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री जीवन सिंह	 राजेन्द्र सिंह
02	" राजेन्द्र सिंह	
03	" गोविन्द सिंह	
04	" लक्ष्म सिंह	
05	" गिरधर बौरा	लक्ष्म सिंह G.S. BORA H.S. BORA G.A.B. P.S.
06	" लक्ष्म बौरा	
07	" इरिश बौरा	
08	श्रीमती मेधा चम्पा बौरा	
09	" पुष्पा देवी	
10	" लारा देवी	
11	" जानकी देवी	
12	" शंकर सिंह	
13	" कीर्ति बल्लभ	
14	" धनुषी देवी	

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
मनाखेत

तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

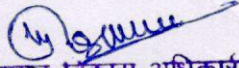
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.432) है० आरक्षित वन भूमि, 0.715 है० सिविल सोयम भूमि, 0.576 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.723 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मनाखेत द्वारा दिनांक 22.11.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / 
ग्राम सभा विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मनाखेत
ति० २२/११/२० गरुड़ (बागेश्वर)

12/11/20
ग्राम पंचायत प्रधान
ति० २२/११/२०-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत
स्याली से इडिया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 22.1.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-मनाखेत

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मदन मोहन सिंह	मदन मोहन सिंह
	विर-वर सिंह बौरा	विर-वर सिंह
	दलीप सिंह बौरा	<u>Dalip</u>
	दीप चन्द	Deben
	त्रिपुरारी दत्त	Tripurari Datt
	नैन राम	नैन राम
	भवान राम	भवान राम
	लक्ष्मी लाल	लक्ष्मी लाल
	हरि राम	हरि राम
	श्याम सुन्दर	श्याम
	कमल राम	कमल लाल
	प्रताप सिंह	Balwara
	बलवन्त सिंह बौरा (इडिया)	(बलवन्त)
	लोभा सिंह	लोभा
	महेन्द्र चन्द सिंह इडिया	महेन्द्र चन्द सिंह
	शुभा	शुभा
	राम	राम

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनावसी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति-गरुड़

उपखण्ड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है० आरक्षित वनभूमि, 0.715 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 0.576 है० वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 1.763 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 22/06/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ की बैठक श्री जयवर्धन शर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री जयवर्धन शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री दिनेश चन्द लोहानी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री रंजीत शर्मा	बी०डी०सी० क्षेत्र, मनाखेत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.763 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य हेतु 1.763 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

22/06/20
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बागेश्वर 30 00

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20/06/20
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बागेश्वर 30 00

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

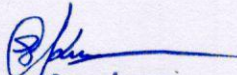
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

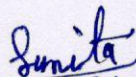
1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 29/06/2020 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

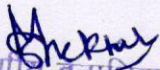
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक.....22/06/2020 द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग लिए 1.763 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ द्वारा स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

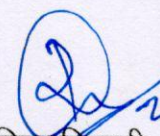
जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग के लिए 1.763 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग के लिए 1.763 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


सदस्य जिला पंचायत
जिला पंचायत क्षेत्र, बागेश्वर
वि० बागेश्वर (बागेश्वर)


सदस्य 29-6-20
पंचायत क्षेत्र कौसावी
जनपद बागेश्वर


29/6/2020
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर


29/06/2020
जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.763 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक

८५'

(रंजना राजगुरु)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।